छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दिनांक 08.07.2021 को आदेश आरक्षित
दिनांक 20.07.2021 को आदेश पारित
सी०आर०ए० नंबर–231/2002

1. खोल बहारा पिता जगदीश गोंड,उम्र–लगभग 22 वर्ष
   निवासी–ग्राम जेठा, थाना बराद्वार
   वर्तमान पता–कोटालिया, रेलवे स्टेशन थाना चक्रधर नगर
   रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
2. चंपा बा◌ंई पति जगदीश गोंड, उम्र–लगभग 50 वर्ष
   निवासी–ग्राम जेठा, थाना बराद्वार
   वर्तमान पता–कोटालिया, रेलवे स्टेशन थाना चक्रधर नगर
   रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .....**अपीलार्थी**

//विरूद्ध//

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा– जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर, (छत्तीसगढ़) .....**उत्तरवादी**

अपीलकर्ताआ◌ें की आ◌ेर से श्री अनुरूप पांडा, अधिवक्ता ।
राज्य/प्रतिवादी की आ◌ेर से सुश्री ◌ईश्वरी घृतलहरे लोक अभियोजक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्रीमती जस्टिस रजनी दुबे

सी ए वी आदेश

दिनांकः– 20/07/2021

01. वर्तमान अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती जिला बिलासपुर द्वारा एस०टी० नंबर 357/2001 में दिनांक 22.02.2002 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विवादित निर्णय से उत्पन्न हु◌ंई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताआ◌ें को दोषी ठहराया तथा उन्हें निम्नानुसार दण्डादेश दियाः–

क्रं० संख्या	दोषसिद्धि अपराध	सजा
1.	भारतीय दंड संहिता की धारा 306	7 वर्ष का कठोर कारावास आैर 1000 रूपये का जुर्माना, यदि जुर्माना न दिया जाये तो प्रत्येक आरोपी के लिए अतिरिक्त 1 वर्ष का कारावास ।
2.	भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए	3 वर्ष का कठोर कारावास आैर 1000 रूपये का जुर्माना, यदि जुर्माना न दिया जाये तो प्रत्येक आरोपी के लिए अतिरिक्त 6 महीने का कारावास।

02. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतका रमा बाई की शादी अपीलकर्ता खोलबहारा से घटना से लगभग 6 महीने पूर्व हुई थी। दिनांक 13.10.2000 को सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच मृतका रमा बाई ने ग्राम जेठा में कुंए से पानी खींचने के लिए प्रयुक्त रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में पाया गया कि मृतका को छोटी–छोटी बातों के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा अपीलकर्ताआें द्वारा उसके साथ मारपीट भी की जाती थी, इसलिए पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। उक्त आधार पर आरोपियों के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई, जांच पश्चात अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया आैर अपीलकर्ताआें/आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आैर 498–ए के तहत आरोप लगाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अपीलकर्ताआें/आरोपियों को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया है। अपीलकर्ताआें/आरोपियों के समर्थन में बचाव पक्ष ने एक गवाह का कथन कराया है तथा अपीलकर्ताआें/आरोपियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें अपीलकर्ताआें/आरोपियों ने अपने खिलाफ प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया आैर स्वयं को निर्दोष तथा झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया।

04. मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आैर 498–ए के तहत अपीलकर्ताआें/आरोपियों के अपराध को सिद्ध कर दिया है उन्हें उपरोक्त पैराग्राफ 2 से पहले कॉलम में वर्णित अनुसार सजा सुनाई गई।

05. अपीलकर्ताआें के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अापत्तिजनक दोषसिद्धि एवं सजा का आदेश कानून आैर अभिलेखों पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है, उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय ने यह त्रुटि की है कि आरोपी व्यक्तियों ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, अतः अभियोजन पक्ष ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में परिभाषित अनुसार अपीलकर्ताआें/आरोपियों द्वारा उकसाने को सिद्ध करने में विफल रहा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 आैर 498–ए के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने में असफल रहा। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान महत्वपूर्ण पहलुआें पर विरोधाभासी आैर अपूर्ण हैं तथा अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सभी तर्क संगत शंकाआें से परे सिद्ध नहीं किया, इसलिए अपील को खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले में **एम. अर्जुनन बनाम राज्य (2019) 3 SCC 31, रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 आैर नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 12 एससीसी 351** पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. राज्य के अधिवक्ता ने आपत्तिजनक दोषसिद्धि आैर सजा के आदेश का समर्थन किया।

07. दोनों पक्षों के अधिवक्ताआें को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें विवादित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध है।

08. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताआें के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 एवं 498–ए के तहत आरोप तय किए। रामकुंवर बाई (PW–1) ने कथन किया कि रमा बाई की शादी खोलबहारा से ग्राम जेठा में हुआ था। रमा बाई रक्षाबंधन एवं नवरात्रि में गांव मरकामगोड़ी आई थी, जब रमा बाई अपनी सहेलियों से मिली तो उससे उसकी कुशलता के बारे में पूछा गया तो वह रोने लगी उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रही हैं, तो उसने बताया कि उसके सास, ससुर, पति एवं देवर उसे अत्यधिक परेशान कर रहे है, उसके ससुराल वाले कहते है कि वह दहेज में टीवी, पंखा नहीं लायी, जिसके कारण उससे गाली–गलौज आैर मारपीट की जाती थी, जिसके कारण उसे खून की उल्टियां हुई। बहरता (PW–4) ने कथन किया कि मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट (Ex.P–4) उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी। आरोपी उसका भाई है, चंपा बाई उसकी माता है तथा मृतका रमा बाई उसकी भाभी थी। छिरोबाई (PW–5) ने कथन किया कि रमाबाई जब अपने मायके आयी थी तो उसने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसके

साथ मारपीट की आैर उसके ससुराल वाले उसे उसकी ननद का बचा हुआ खाना देते थे आैर खाना न खाने पर वे उसके साथ मारपीट करते थे। पहारू (PW–6) मृतका के पिता ने कथन किया है कि वह रमा बाई को सोमवार को ससुराल लेकर गया था आैर मंगलवार को घर वापस आया। तीसरे दिन एक व्यक्ति आया आैर बताया कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, तब वह रमाबाई के पास गया आैर देखा कि उसकी बेटी की मौत फांसी लगाने से हो गयी है। पहारू PW–6 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि पुलिस ने उसे उपस्थित होने के लिए नोटिस (Ex.P–5) दिया था। मृतका ने उसे किसी समस्या के बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण में उसने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। कीर्तन सिंह (PW–7) ने कहा कि उसने जाकर देखा कि मृतका एक खूंटी से बंधी रस्सी से लटकी हुई थी, पुलिस ने बताया (Ex. P–7) को रस्सी दी थी, पंचायतनामा (Ex.P–8) के अनुसार शव का नक्शा बनाया गया था। मोहन लाल (PW–8) ने कहा है कि उसने मृतक के गले में रस्सी देखी थी, पुलिस द्वारा पंचायतनामा (Ex.P–8) का नक्शा उसके सामने तैयार किया गया था। Ex.p–3 के अनुसार रस्सी आैर खूंटी को भी मौके से जप्त कर लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि मृतका ने अपने पिता पहारू (PW–6) को कुछ नहीं बताया है आैर अभियोजन पक्ष के मामले का विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। मृतका की दोस्त छिरोबाई (PW–5) ने कहा है कि मृतका ने उसे अपने पति आैर ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के बारे में बताया था परन्तु आरोप सामान्य आरोप है।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, उकसाता है, उसे दंडित किया जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में उकसाने के तत्व बताए गए है जो इस प्रकार हैः–

> " 107. वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–
> प्रथम– उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसात है; अथवा
> द्वितीय– उस बात को करने के लिए किसी षड़यंत्र के अनुसरण में, आैर उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा
> तृतीय– उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।"

11. वर्तमान मामले में यह तय किया जाना है कि क्या अभियुक्त/अपीलकर्ताआें ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या भड़काया। यह विवादित नहीं है कि मृतका ने आत्महत्या की थी लेकिन घटना के दिन जो कुछ हुआ था वह इस उकसावे के प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले मे 2001 दर्ज 9 SCC 618 में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 23 एवं 24 में यह निर्णय दिया कि:–

23. "उकसाना किसी कार्य को करने लिए उकसाना, आगे बढ़ना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है। हालांकि उकसावे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसावा बनता है वह आवश्यक रूप से आैर विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। वर्तमान मामला एेसा नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कार्यों या चूक या आचरण के निरंतर क्रम से एेसी परिस्थितियां उत्पन्न किये कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता है। क्रोध या भावना के आवेश में बिना किसी परिणाम के वास्तव में अनुसरण करने का इरादा किए बिना कहा गया शब्द उकसावे के रूप में नहीं कहा जा सकता है।"

24. "पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आेरीलाल जायसवाल व अन्य– MANU/SC/0321/1994: 1994 CriLJ2104, के मामले में इस न्यायालय ने सावधानी बरतने की चेतावनी दी है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मुकदमें में प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय के सामने यह स्पष्ट हो जाये कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता सामान्य घरेलू कलह, मतभेद एवं झगड़े के प्रति असंवदेनशील थी, जो उस समाज में आम है आैर एेसी परिस्थितियां सामान्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं करती, तो न्यायालय की अंतरात्मा को यह निष्कर्ष निकालने के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आरोपी जिस पर आत्महत्या के अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, दोषी पाया जाये।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एम. अर्जुनन बनाम राज्य के मामले में 2019 3 SCC 315 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 में कहा है किः–

8. " भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व है: (i) उकसाना; (ii) आरोपी की यह नियत कि वह मृतका को आत्महत्या करने के लिए सहायता, प्रेरणा या उकसाना चाहता था। आरोपी द्वारा मृतका को को अपशब्दों से अपमानित करना, अकेले में, आत्महत्या के उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । एेसे कृत्य से यह सिद्ध करने हेतु कि आरोपी की नियत मृतका को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की थी, उपयुक्त सबूत प्रस्तुत होने चाहिए। जब तक आत्महत्या के लिए प्रेरणा/उकसाने के तत्व सिद्ध नहीं होते, तब तक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"

12. मृतका के पिता पहारू (PW–6) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने दहेज की मांग व परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। सभी महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि दहेज की मांग के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला। दहेज की मांग के बारे में दावा आैर अभियोजन पक्ष के गवाह का साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मृतका की आत्महत्या सीधे अपीलकर्ताआें द्वारा उकसाये जाने या प्रेरित किये जाने से हुयी थी। अपीलकर्ताआें ने कुछ अपमानजनक शब्द कहे होंगे, परन्तु केवल एेसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले के तथ्यों आैर परिस्थितियों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आैर 498–ए के तत्व स्थापित नहीं होते हैं, अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आैर 498–ए के तहत अपीलकर्ताआें/आरोपी व्यक्तियों की सजा कायम नहीं रह सकती।

13. परिमास्वरूप दिनांक 22.02.2002 को दोषसिद्धि आैर सजा के आदेश का विवादित निर्णय रद्द किया जाता है, अपील स्वीकार की जाती है। आरोपी/अपीलकर्ताआें को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। चूंकि अपीलकर्ता जमानत पर है, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है आैर उनके जमानत आैर बंध पत्र भारमुक्त हो गये हैं।

14. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

Sd/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur